रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2019

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी(1)/2019—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 को और आगे संशोधित करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभण –

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में,

(i) विनियम 4 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, नामतः :-

"(घ) सीएनजी स्टेशन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, ऑटो एलपीजी और सीएनजी के वितरण के खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2018 के अनुरूप डिज़ाइन, प्रचालित और अनुरक्षित किए जाएंगे;"

(ii) अनुसूची 1-क में "मीटर सेट तक सतह से ऊपर सेवा लाइनों के लिए पाइप और ट्यूबिंग" शीर्षक के अंतर्गत "जस्तेदार लोहे (जीआई) के पाइपों" अक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों से आरंभ होने वाले पैराग्राफ और "इन विनियमों की अनुसूची I-घ" से समाप्त होने वाले अक्षरों, संख्याओं और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित होगा, नामत :-

"उपभोक्ता के मीटर या मीटर का नियंत्रण वाल्व तक सतह के ऊपर उपर्युक्त सर्विस लाइनों के लिए जस्तेदार लोहे की पाइपों (जीआई) का प्रयोग किया जाना चाहिए। तांबे की ट्यूब का प्रयोग उपभोक्ता के मीटर के बाद ही किया जाएगा ताकि वह तीसरे पक्ष को उपलब्ध न हो। उपभोक्ता के मीटर से पहले तांबे के पाइप/ट्यूब का प्रयोग केवल रसोईघर के अंदर किया जाना चाहिए। तांबे के पाइप/ट्यूब के विकल्प के रूप में,

आईएसओ 17484-1 की आवश्यकताओं के अनुपालन वाली बहुस्तरीय समग्र पाइप का उपयोग भी किया जा सकता है। जीआई पाइप, तांबे की ट्यूब और बहुस्तरीय समग्र पाइप इस मानक के अनुबंध IV में दी गई आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो बिना जस्तेदार पाइपों का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए; तथापि यदि इनका इस्तेमाल किया जाता है तो उन पर रंग करके उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पीई पाइपों का प्रयोग सतह के ऊपर गैस पाइपों के लिए तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके लिए विनियमों में विशेष रूप से अनुमति प्रदान न की गई हो।"

(iii) अनुसूची 1-घ में, -

(क) "स्टेशन सुविधाओं की रूपरेखा" शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षक "(ख) वितरण दबाव नियंत्रण स्टेशन (डीपीआरएस) और व्यक्तिगत दबाव नियंत्रण स्टेशन (आईपीआरएस) के अंतर्गत", -

(अ) "डीपीआरएस के मामले में" अक्षरों और शब्दों से आरंभ होने वाले और "उचित कैथोडिक सुरक्षा" शब्दों से समाप्त होने वाले पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित होगा, नामतः :-

"भूमिगत डीपीआरएस में बटरफ़्लाय वाल्वों के प्रयोग किए जाने के मामले में वह अनुलग्नक-I में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इस प्रकार के भूमिगत स्किड के ऊपर एक समर्पित आइसोलेशन वाल्व स्थापित किया जाएगा।";

(आ) "डीपीआरएस/आईपीआरएस" अक्षरों और स्लेश से आरंभ होने वाले और "दो (2) मीटर" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं से समाप्त होने वाले पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित होगा, नामतः :-

"वॉल माउंटेड रेग्युलेटिंग सिस्टम के लिए, क्रैश गार्ड जैसी सुरक्षा सुविधाएँ, सुविधाओं की पिटारी आदि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम आउटलेट दबाव 2.0 बार (जी) तक सीमित रहेगा।"

(ख) "उपभोक्ता मीटर सेट से गैस उपकरण तक पाइप स्थापना" शीर्षक के अंतर्गत आरंभिक पैराग्राफ में "प्राधिकृत कंपनी द्वारा आसान पहुँच" शब्दों से आरंभ होने वाले और "शट-ऑफ वाल्व उपलब्ध कराया जाना चाहिए" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामतः :-

"प्राधिकृत कंपनी द्वारा आसान पहुँच स्थल पर स्थित उपकरण के निकट धातु निर्मित रिसाव संसूचक तथा अधिक प्रवाह शट ऑफ वाल्व उपलब्ध कराया जाए।";

(iv) अनुबंध-I में "सी.जी.डी. ढांचे में प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री की विशिष्टियों की सूची" शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षक "वाल्व", "एपीआई 6 डी पाइपलाइन वाल्व" अक्षरों, आकृतियों और शब्दों के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात :-

" एपीआई 609: बटरफ़्लाय वाल्व: दोगुना कोरदार, लग-टाइप और वेफर-टाइप;

ईएन 13774: गैस वितरण प्रणाली हेतु अधिकतम 16 बार से कम अथवा के समान प्रचालन दबाव सहित वाल्व। निष्पादन आवश्यकताएं;

बीएस ईएन 593 : औद्योगिक वाल्व। सामान्य प्रयोजनार्थ धातु के बटरफ़्लाय वाल्व "।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./296/19]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को जी.एस.आर. 612 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2008 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात जीएसआर 750 (अ), दिनांक 14.10.2009, फा.संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16.12.2014, फा. संख्या एल-एमआईएस सी/VI/I/2007, दिनांक 01.01.2015, फा. संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 09.04.2016 और फा. संख्या एम(I)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2019

F.No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019. – In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.-
   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(i) in regulation 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) The CNG Station shall be designed, operated and maintained in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Retail Outlets dispensing Petroleum, Auto LPG and CNG) Regulations, 2018.";

(ii) in Schedule-1A, under heading "Pipes and tubing for above ground service lines up to meter set assembly", the paragraph beginning with the words, brackets and letters "Galvanized Iron (GI) pipes" and ending with the words, figure and letters "Schedule I D of these regulations.", the following paragraph shall be substituted, namely: -

"Galvanized Iron (GI) pipes shall be used in above ground service lines up to consumer meter or meter control valve. The use of copper tubing shall only be after consumer meter such that this is not accessible to third party. Use of copper pipe / tube before consumer meter should be inside the kitchen only. As an alternate to copper pipe/ tube, multi layered composite pipe complying with the requirements of ISO 17484-1 can also be used. GI pipes, copper tubing and multilayer composite pipes shall conform to the requirements given in Annexure-IV of this standard. Use of non-galvanized pipes should be restricted as far as possible; however, in case they are used they shall be properly protected and painted. PE pipe shall not be used for above ground gas pipes unless it is specifically permitted in the regulations.";

(iii) in Schedule-1D, -

(A) under the heading "Layout of Station Facilities", under sub-heading "(b) Distribution Pressure Regulating Station (DPRS) and Individual Pressure Regulating Station (IPRS)", -

(a) after the paragraph beginning with the words and letters "In case DPRS" and ending with the words "proper cathodic protection.", the following paragraph shall be inserted, namely: -

"In case butterfly valves are used in underground DPRS, the same shall conform to the requirements given in Annexure – I. Further, a dedicated isolation valve shall be installed upstream of such underground skid.";

(b) after the paragraph beginning with the letters and slash "DPRS/IPRS" and ending with the words, brackets and figure "two (2) meters.", the following paragraph shall be inserted, namely: -

"For Wall mounted regulating system, safety features like crash guards, caging of facilities and like other facilities shall be provided. Further, the maximum outlet pressure shall be restricted up to 2.0 bar (g).";

(B) under the heading "PIPING BEYOND CONSUMER METER SET ASSEMBLY TO GAS APPLIANCE", in the opening paragraph, for the portion beginning with the words "A metal seated" and ending with the words "location by the authorised entity", the following shall be substituted, namely: -

"A metal seated leak detection cum excess flow shut off valve may be provided near the appliance located at easily accessible location by the authorised entity.";

(iv) in Annexure – I, under the heading "List of Specifications of Piping Materials used in CGD Network", in sub-heading "Valves", after letters, figure, and words "API 6D Pipeline Valves", the following shall be inserted, namely: -

"API 609: Butterfly valves: Double flanged, lug-type and wafer-type;

EN 13774: Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar. Performance requirements;

BS EN 593: Industrial valves. Metallic butterfly valves for general purposes".

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./296/19]

Foot Note: The Principal regulations were published in the official gazette vide G.S.R. 612(E), dated the 27th August, 2008, and amended vide G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009, F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 16-12-2014, F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015, F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 09.04.2016 and F.No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 24.11.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.20 15:39:00 +05'30'